

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क. :- 57/2014)

(संस्थित दिनांक :- 31/01/14)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. कुशलपाल सिंह राजावत पुत्र रामप्रताप सिंह राजावत, उम्र 33 वर्ष।

निवासी :- ग्राम हरक्का, पटेल नगर जालौन, थाना — जालौन, (उ.प्र.)।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 26/10/2017 को घोषित)

01. आरोपी कुशलपाल पर धारा :- 279, 338 एवं 304 ए “02 काउण्ट” भा. द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :- 29/11/2013 को शाम लगभग 05:30 बजे मौ—गोहद रोड़ चम्हेड़ी हरनामपुरा के बीच लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन टाटा विन्चर क्रमांक यू.पी.92/एल/4005 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत पान सिंह की मोटर साईकिल में टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत पान सिंह की मोटर साईकिल में टक्कर मारकर उस पर सवार मृतक कल्याण सिंह एवं घनश्याम सिंह की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

02. प्रकरण में आरोपी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा मृतक कल्याण की शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.10, डॉ.मनीष वैरागी द्वारा दी गई केस शीट प्र.पी.11 एवं आहत पान सिंह की एक्स—रे परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.12 को धारा 294 द.प्र.सं. के अन्तर्गत सत्य होना स्वीकार किया गया है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 29/11/2013 को शाम लगभग 05:30 बजे मौ—गोहद रोड़ चम्हेड़ी हरनामपुरा के बीच लोकमार्ग पर, वाहन क्रमांक यू.पी.92/एल/4005 के चालक कुशलपाल सिंह निवासी पटेल नगर उरई द्वारा उक्त वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर मोटर साईकिल पर सवार

कल्याण, घनश्याम एवं पान सिंह को टक्कर मारकर उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी कैलाश जाटव द्वारा चौकी झोंकरी, पर उसी दिनांक को शाम 06:00 बजे की जाने पर, चौकी झोंकरी थाना मौ में वाहन क्रमांक यू.पी.92/एल/4005 के चालक कुशलपाल सिंह निवासी पटेल नगर उरई के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/2013 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। उक्त जीरो की एफआईआर के आधार पर आरोपी वाहन चालक कुशलपाल सिंह निवासी पटेल नगर उरई के विरुद्ध थाना मौ में दिनांक : 29/11/2013 को ही रात्रि 22:45 अर्थात् 10:45 बजे असल अपराध क्रमांक 282/2013 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। ईलाज के दौरान आहत कल्याण एवं घनश्याम की मृत्यु हो जाने एवं आहत पान सिंह के एक्स-रे परीक्षण में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरुद्ध धारा 304 ए एवं 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक : 29/11/2013 को शाम 17:50 अर्थात् 05:50 बजे फरियादी कैलाश के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। दिनांक : 29/11/2013 को ही घटनास्थल से आरोपी कुशलपाल से शाम 08:20 बजे वाहन टाटा विन्चर क्रमांक यू.पी. 92/एल/4005 मय दस्तावेज जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। दिनांक : 29/11/2013 को ही शाम 08:40 बजे आरोपी कुशलपाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी कैलाश, आहत पान सिंह, साक्षीगण इन्दल, नरेन्द्र, जोगन्दर एवं कमलेश के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त कुशलपाल के विरुद्ध धारा 279, 338 एवं 304 ए "02 काउण्ट" भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी कुशलपाल ने दिनांक :- 29/11/2013 को शाम लगभग 05:30 बजे मौ-गोहद रोड़ चम्हेड़ी हरनामपुरा के बीच लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन टाटा विन्चर क्रमांक यू.पी.92/एल/4005 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत पान सिंह की मोटर साईकिल में टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की?

03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत पान सिंह की मोटर साईकिल में टक्कर मारकर उस पर सवार मृतक कल्याण सिंह एवं घनश्याम सिंह की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है?

04. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी कैलाश अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 28/01/2015 से एक या सवा साल पहले के शाम के साढ़े 05 बजे की थी। साक्षी आगे कहता है कि उस समय उसके साथ कल्याण, घनश्याम, पान सिंह और जोगेन्द्र थे। वह उस समय मोटर साईकिल से लौट रहा था। जब वह चम्हेड़ी एवं हरनाम पुरा के बीच में पहुँचे, तब सामने से कुशलपाल टाटा मैजिक गाड़ी को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर लाया और उसने कल्याण, घनश्याम और पान सिंह को टक्कर मार दी थी, जिससे कल्याण, घनश्याम और पान सिंह को कई चोटें आई थी। टक्कर लगने से कल्याण और घनश्याम की मृत्यु हो गई थी। साक्षी आगे कहता है कि उक्त टाटा मैजिक गाड़ी का नम्बर वह आज नहीं बता सकता। उक्त एक्सीडेंट उसके अलावा मौके पर जोगेन्द्र और इन्द्रल भी थे, जिन्होंने घटना देखी थी। उसके बाद वह लोग रिपोर्ट करने पुलिस चौकी झाँकरी गये थे। पुलिस वालों ने उसे रिपोर्ट पढ़कर सुनाई थी, जो प्र.पी.01 है। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित आरोपी कुशलपाल सिंह की ओर इशारा करके बताया कि इसी ने टक्कर मारी थी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुँचकर उसके बताये अनुसार नक्शा-मौका तैयार किया था, जो प्र.पी.02 है। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस ने उसके सामने गाड़ी को जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था। पुलिस ने उसके सामने आरोपी कुशलपाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.04 बनाया था।

09. साक्षी/आहत पान सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 28/01/2015 से लगभग एक साल पहले के शाम लगभग 05 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उस दिन वह काम से लौटकर काम करके अपने घर ककरपुर मोटर साईकिल से जा रहा था। उसके साथ में कल्लू उर्फ कल्याण एवं घनश्याम जा रहे थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके साथ में एक गाड़ी और भी थी, उस गाड़ी पर कैलाश, कमलेश, नरेन्द्र और इन्द्र भी थे, यह दूसरी मोटर साईकिल से जा रहे थे, आगे उसकी मोटर साईकिल चल रही थी। साक्षी आगे कहता है कि जब वह हरनामपुरा और चम्हेड़ी के बीच में पहुँचे तब सामने से मैजिक गाड़ी ने उनकी मोटर साईकिल में टक्कर मारी, जिसको कल्याण चला रहा था। टक्कर लगने से उसका पैर टूट गया था और उसके अलावा कल्याण और घनश्याम के भी चोटें आई थी और उक्त दोनों लोग खत्म हो गये थे। साक्षी आगे कहता है कि दुर्घटनाकारित करने वाली मैजिक गाड़ी को न्यायालय में उपस्थित आरोपी कुशलपाल चला रहा था। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी। टाटा मैजिक गाड़ी मुचल के रेस में चलकर आ रही थी।

10. फरियादी कैलाश अ.सा.01 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि वह दुर्घटनाकारित करने वाले टाटा मैजिक गाड़ी का नम्बर आज नहीं बता सकता। आहत पान सिंह अ.सा.02 ने भी दुर्घटना किसी मैजिक गाड़ी से होना दर्शित किया है। जबकि प्रकरण में जो गाड़ी दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के रूप में घटनास्थल से जब्त की गई है, वह टाटा मैजिक ना होकर, टाटा वेन्चर सवारी गाड़ी है। इस प्रकार दुर्घटना टाटा मैजिक गाड़ी से कारित हुई थी, अथवा टाटा वेन्चर गाड़ी से, इस वावत् फरियादी कैलाश अ.सा.01 एवं आहत पान सिंह अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा जब्ती पत्रक प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। उल्लेखनीय है कि फरियादी कैलाश अ.सा.01 एवं आहत पान सिंह अ.सा.02 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का नम्बर दर्शित नहीं किया है। इस प्रकार फरियादी कैलाश अ.सा.01 एवं आहत पान सिंह अ.सा.02 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से प्रकरण में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के रूप में जब्ती पत्रक प्र.पी.03 के माध्यम से जब्तशुदा टाटा वेन्चर वाहन क्रमांक यू.पी.92/एल/4005 के द्वारा दुर्घटनाकारित होना प्रकट नहीं होता है।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 08 में फरियादी कैलाश अ.सा.01 का कहना है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का नम्बर नहीं लिखाया था, यदि प्र.पी.01 में नम्बर लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि जीरो पर पंजीबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में फरियादी कैलाश अ.सा.01 के चौकी झाँकरी आकर वाहन क्रमांक यू.पी.92/एल/4005 के चालक कुशलपाल के विरुद्ध दुर्घटनाकारित करने का उल्लेख है। उक्त जीरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक एसआई विनोद भार्गव अ.सा.08 ने भी उसके न्यायालयीन

अभिसाक्ष्य में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि उसके द्वारा फरियादी कैलाश अ.सा.01 की रिपोर्ट पर से वाहन क्रमांक यू.पी.92/एल/4005 के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। ऐसी दशा में जब फरियादी कैलाश अ.सा.01 द्वारा वाहन क्रमांक यू.पी.92/एल/4005 का नम्बर दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के रूप में लेखबद्ध कराया ही नहीं गया, तब वह नम्बर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में किस प्रकार और किसके द्वारा लेखबद्ध कराया गया, इस वावत् फरियादी कैलाश अ.सा.01, प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक विनोद भार्गव अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं जीरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में फरियादी कैलाश अ.सा.01 का कहना है कि वह पढ़ा-लिखा नहीं है, वह अंगूठा लगाता है, लेकिन हस्ताक्षर भी कर लेता है। साक्षी आगे कहता है कि उसने एफआईआर पर अपने हस्ताक्षर किये थे और हस्ताक्षर के उपर अंगूठा लगाया था। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उस पर फरियादी कैलाश अ.सा.01 के कोई हस्ताक्षर नहीं है, केवल एक अंगूठा निशानी है, जबकि कैलाश अ.सा.01 द्वारा न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के पश्चात् डिपोजिशन शीट पर उसके हस्ताक्षर किये गये हैं। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 पर हस्ताक्षर के उपर फरियादी कैलाश अ.सा.01 की अंगूठा निशानी होने के संबंध में फरियादी कैलाश अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 10 में फरियादी कैलाश अ.सा.01 का कहना है कि हम लोग चौकी झाँकरी पर रिपोर्ट लिखाने के लिए 07-07:30 बजे पहुँच गये थे, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने का समय शाम 18:00 बजे अर्थात् शाम 06:00 बजे का होना दर्शित होता है। ऐसी दशा में जबकि शाम 06:00 बजे फरियादी कैलाश रिपोर्ट कराने के लिए चौकी झाँकरी पहुँचा ही नहीं था, तब चौकी झाँकरी में फरियादी कैलाश के लेखबद्ध कराये अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध किया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है, क्योंकि इस वावत् फरियादी कैलाश अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं कथित रूप से उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

14. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 11 में फरियादी कैलाश अ.सा.01 का कहना है कि उसने नक्शा-मौका प्र.पी.02 जब्ती पत्रक प्र.पी.03 पर पुलिस चौकी पर अंगूठा लगाया था। जबकि प्रकरण के विवेचक एएसआई विनोद भार्गव अ.सा.08 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने नक्शा-मौका घटनास्थल पर ना जाकर थाने पर बैठकर बनाया है।

नक्शा-मौका प्र.पी.02 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त नक्शा-मौका घटनास्थल पर तैयार किया गया, जब्ती पत्रक प्र.पी.03 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उक्त जब्ती पत्रक घटनास्थल पर तैयार किया गया है। इस प्रकार नक्शा-मौका प्र.पी.02 एवं जब्ती पत्रक प्र.पी.03 घटनास्थल पर तैयार किये गये थे, अथवा चौकी झॉकरी पर इस वावत् फरियादी कैलाश अ.सा.01, विवेचक एएसआई विनोद भार्गव अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं नक्शा-मौका प्र.पी.02 एवं जब्ती पत्रक प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

15. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में आहत पान सिंह अ.सा.02 का कहना है कि वह यह नहीं बता सकता कि दुर्घटनाकारित करने वाली टाटा मैजिक कितनी गति से चल रही थी। साक्षी कहता है कि वह तो हाल आ गई थी। जबकि मुख्य परीक्षण में उसका कहना है कि टाटा मैजिक गाड़ी मुचल के रेस में चलकर आ रही थी। इस प्रकार आहत पान सिंह अ.सा.02 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि जिस टाटा मैजिक वाहन से वह दुर्घटना होना बता रहा है, वह दुर्घटना के समय तेज गति से चल रही थी। परन्तु हस्तगत प्रकरण में कोई टाटा मैजिक वाहन जब्त नहीं किया गया।

16. साक्षी कमलेश अ.सा.03, इन्द्रल अ.सा.04, नरेन्द्र अ.सा.05 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी कुशलपाल को नहीं पहचाना है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

17. अभियोजन साक्षी विनोद भार्गव अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 29/11/2013 को पुलिस थाना मौ में एएसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा कैलाश जाटव की रिपोर्ट पर से आरोपी टाटा सवारी गाड़ी यू.पी.92/एल/4005 के चालक कुशलपाल के विरुद्ध चौकी झॉकरी पर अपराध क्रमांक 0/13 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उक्त जीरों पर से मूल अपराध कायम हुआ था, मूल अपराध की कायमी के पश्चात् विवेचना हेतु अपराध की डायरी उसे प्राप्त हुई थी। उसके द्वारा दिनांक : 29/11/2013 को ही कैलाश की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा घटनास्थल से आरोपी कुशलपाल से एक टाटा विन्चर सवारी गाड़ी नम्बर यू.पी.92/एल/4005 मय रजिस्ट्रेशन, बीमा, पॉलिसी एवं आरोपी के ड्रायविंग लाईसेंस के साथ जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को

ही आरोपी कुशलपाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी कैलाश, इन्दल एवं दिनांक : 22/12/2013 को नरेन्द्र, जोगेन्द्र, मान सिंह एवं कमलेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

18. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में विवेचक विनोद भार्गव अ.सा.08 का कहना है कि वह घटनास्थल पर शाम लगभग 05:50 बजे पहुँच गया था। तत्पश्चात् साक्षी का कहना है कि वह शाम 05:30 बजे पहुँच गया था। जहाँ पर ड्रायवर उसे मौजूद मिला था। साक्षी आगे कहता है कि उसने वहाँ पहुँचकर तत्काल आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था। उल्लेखनीय है कि यदि विनोद भार्गव अ.सा.08 को दुर्घटनास्थल पर ही शाम 05:30 बजे या 05:50 बजे दुर्घटनाकारित करने वाला आरोपी चालक मिल गया था, तो उसके द्वारा उक्त आरोपी चालक को तत्काल गिरफ्तार ना कर रात्रि 08:40 बजे गिरफ्तार क्यों किया गया, इसका कोई कारण विनोद भार्गव अ.सा.08 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपी अधिवक्ता द्वारा पूछे जाने पर भी स्पष्ट नहीं किया है। इस कारण आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी कुशलपाल की पहचान सदिग्ध होना प्रतीत होती है। उल्लेखनीय यह भी है कि यदि विनोद भार्गव अ.सा.08 शाम 05:30 बजे या 05:50 बजे दुर्घटनास्थल पर पहुँच गया था, तो उसके द्वारा दुर्घटनास्थल पर ही देहाती नालसी लेखबद्ध क्यों नहीं की गई थी, यह तथ्य विनोद भार्गव अ.सा.08 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया है। जब्ती पत्रक प्र.पी.03 एवं विनोद भार्गव अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के अनुसार वाहन क्रमांक यू.पी.92/एल/4005 दुर्घटनास्थल से आरोपी कुशलपाल के आधिपत्य से जब्त किया गया है। जबकि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 पर आरोपी कुशलपाल के मूल हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं। जब्ती पत्रक प्र.पी.03 पर आरोपी कुशलपाल के कार्बन पेपर रखकर हस्ताक्षर कराये गये हैं, ऐसा क्यों किया गया, इसका कोई कारण विनोद भार्गव अ.सा.08 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित नहीं किया गया। जिससे यह दर्शित होता है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 के माध्यम से जब्तशुदा टाटा वेन्चर क्रमांक यू.पी.92/एल/4005 आरोपी कुशलपाल से उसकी उपस्थिति में जब्त नहीं किया गया था, बल्कि पश्चात्वर्तीय किसी प्रक्रम पर जब्ती पत्रक प्र.पी.03 पर आरोपी कुशलपाल के कार्बन पेपर रखकर हस्ताक्षर कराये गये हैं। उक्त तथ्य इस वावत् अभियोजन कथा को गंभीर रूप से संदेहास्पद बनाता है।

19. उल्लेखनीय है कि विनोद भार्गव अ.सा.08 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया गया है कि उसके द्वारा लेखबद्ध की गई जीरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के आधार पर मूल अपराध कायम हुआ था और मूल अपराध की कायमी के पश्चात् उसे विवेचना हेतु केस डायरी प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात् उसने विवेचना में अन्य कार्यवाहियों की थी। अपराध क्रमांक 282/2013 की असल प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना

मौ पर दिनांक : 29/11/2013 को 22:45 अर्थात् रात्रि 10:45 बजे लेखबद्ध की गई है और तत्पश्चात् अपराध क्रमांक 282/2013 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर विवेचना हेतु प्रकरण एसआई विनोद भार्गव अ.सा.08 को सौंपा गया था। इस अर्थ है कि अपराध क्रमांक 282/2013 की विवेचना किसी भी स्थिति में दिनांक : 29/11/2013 के रात्रि 10:45 बजे के पूर्व एसआई विनोद भार्गव अ.सा.08 को नहीं सौंपी गई थी। जबकि एसआई विनोद भार्गव द्वारा नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाने की कार्यवाही दिनांक : 29/11/2013 को शाम 05:30 बजे, जब्ती पत्रक प्र.पी.03 शाम 08:20 बजे एवं आरोपी कुशलपाल की गिरफ्तारी शाम 08:40 बजे विवेचना उसे सौंपे जाने के पूर्व की गई है और नक्शा-मौका प्र.पी.02, जब्ती पत्रक प्र.पी.03 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 पर असल अपराध क्रमांक 282/2013 अंकित है। ऐसी दशा में जबकि अपराध क्रमांक 282/2013 दिनांक : 29/11/2013 को रात्रि 10:45 बजे के पूर्व पंजीबद्ध ही नहीं किया गया, तब उक्त दस्तावेज नक्शा-मौका प्र.पी.02, जब्ती पत्रक प्र.पी.03 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 पर असल अपराध क्रमांक 282/2013 किस प्रकार अंकित किया है, यह तथ्य विनोद भार्गव अ.सा.08 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि विनोद भार्गव अ.सा.08 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर यह भी दर्शित नहीं किया है कि उसने साक्ष्य विलोपन से बचने के लिए विवेचना उसे सौंपे जाने के पूर्व ही नक्शा-मौका प्र.पी.02, जब्ती पत्रक प्र.पी.03 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 तैयार कर लिये थे। उल्लेखनीय है कि यदि विवेचना विनोद भार्गव द्वारा तत्परतापूर्वक विवेचना सौंपे जाने के पूर्व ऐसा किया भी जाता तो उक्त नक्शा-मौका प्र.पी.02, जब्ती पत्रक प्र.पी.03 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 पर असल अपराध क्रमांक 282/2013 अंकित ना होकर 0/2013 अंकित होता। ऐसी दशा में नक्शा-मौका प्र.पी.02, जब्ती पत्रक प्र.पी.03 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 पर असल अपराध क्रमांक 282/2013 अंकित होने से विनोद भार्गव अ.सा.08 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य उसके द्वारा की गई उक्त कार्यवाहियों के संबंध में संदेहास्पद प्रतीत होता है।

20. डॉ.हीरालाल माझी अ.सा.06 एवं डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.07 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल मृतक घनश्याम सिंह, मृतक कल्याण, आहत पान सिंह के मेडीकल परीक्षण एवं शव परीक्षण के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.06, मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07, प्र.पी.08 एवं प्र.पी.09 में दर्शित उनके अभिमत संबंधी उनके न्यायालयीन साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

21. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी कुशलपाल ने दिनांक :- 29/11/2013 को शाम लगभग 05:30 बजे मौ-गोहद रोड़ चम्हेड़ी हरनामपुरा के बीच लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन टाटा विन्चर क्रमांक यू.पी.

92/एल/4005 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत पान सिंह की मोटर साईकिल में टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत पान सिंह की मोटर साईकिल में टक्कर मारकर उस पर सवार मृतक कल्याण सिंह एवं घनश्याम सिंह की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

अंतिम निष्कर्ष

22. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी कुशलपाल के विरुद्ध धारा 279, 338 एवं 304 ए "02 काउण्ट" भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी कुशलपाल को धारा 279, 338 एवं 304 ए "02 काउण्ट" भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

23. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

24. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टाटा वेन्चर क्रमांक यू.पी.92/एल/4005 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी श्रीमती अर्चना के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद